

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 562
दिनांक 06 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल उन्मूलन अभियान हेतु केंद्रीय हिस्सा

562. श्री दीपक बैज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान में उपयोग किये जाने वाले संसाधनों पर होने वाले व्यय की केंद्रीय हिस्सेदारी 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम जहां पर उक्त निर्णय लागू किया गया है;

(ग) उक्त अभियान पर छत्तीसगढ़ का केन्द्रीय हिस्सा किन बदली हुई परिस्थितियों के कारण कम कर दिया गया है; और

(घ) क्या पहले की तरह उक्त अभियानों के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती रही है।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय करों की शुद्ध आय में से राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई थी। इस कदम के माध्यम से, राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं/आकांक्षाओं के अनुकूल योजनाओं/कार्यक्रमों को बनाने और कार्यान्वित करने तथा पिछड़े जिलों में विकास संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए समुचित लचीलापन प्रदान किया गया था। तदनुसार, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 2015 में गठित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2017 से कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन 60 (केंद्र): 40 (राज्य) के अनुपात में हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 562, दिनांक 06.02.2024

गृह मंत्रालय की 03 प्रमुख स्कीमें अर्थात् सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम, विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) स्कीम हैं, जिनके माध्यम से राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

एसआरई स्कीम के तहत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति 100% आधार पर की जाती है, जबकि अन्य मदों के लिए प्रतिपूर्ति 60 (केंद्र): 40 (राज्य) के अनुपात में हिस्सेदारी के आधार पर की जाती है।

एसआईएस स्कीम को 60 (केंद्र): 40 (राज्य) के अनुपात में हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

एससीए स्कीम के तहत, राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। यह 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है।

इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों के सहायतार्थ वार्षिक परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच 06 वर्षों के दौरान, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को 479.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जबकि वर्ष 2017-18 और 2022-23 के बीच पिछले 06 वर्षों के दौरान ऐसी स्कीमों के तहत राज्य को 1666.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच 06 वर्षों के दौरान, ऐसी स्कीमों के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी राज्यों को गृह मंत्रालय द्वारा 2172.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जबकि वर्ष 2017-18 और 2022-23 के बीच पिछले 06 वर्षों के दौरान 5601.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वर्तमान में, गृह मंत्रालय की वामपंथी उग्रवाद से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य शामिल हैं।